BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 06 नवम्बर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैरइरादन हत्या करने के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त अजय सिंह उर्फ चौरसिया पुत्र बनवारी निवासी ग्राम टांकर थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2023 में एक डेढ वर्षीय बच्चे को दवा खिलाकर दांत तोडने तथा उसे फैंक देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिससे बच्चे की मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 09.02.2023 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं- 101/2023 धारा 304(1) भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 04.04.2023 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमे 05 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 06.11.2024 को न्यायाधीश श्री विवेक कुमार (मा0 न्यायालय एडीजे -14/स्पेशल ईसी एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अजय सिंह उर्फ चौरसिया को सश्रम आजीवन कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री राजीव कुमार अढाना व श्री योगेश शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तो को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर